

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग,

अधिसूचना

झारखण्ड स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता निर्देशिका

सां0 सां0-02/सां0 कां0 नि० (सां0 अ०)-35/2018...../भारत का संविधान के अनुच्छेद 39 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, झारखण्ड स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता नीति एतद् द्वारा अंगीकार करती है और इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नियमावली, 2019 बनाती है:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, आरंभ और लागू होना।-**
 - (क) यह नियमावली स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।
 - (ख) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
 - (ग) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
 - (घ) यह नियमावली सभी स्वैच्छिक, गैर लाभकारी संस्थाओं यथा सोसाइटी, ट्रस्ट, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहे महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों और वैसी संस्थाओं पर लागू होगी जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण ऐक्ट 1880 (ऐक्ट-21/1880) के अधीन झारखण्ड राज्य में निबंधित हो, और तत्पश्चात् कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत हो तथा जिसका उद्देश्य कला एवं संस्कृति का विकास करना हो एवं उनके पास योजना के कार्यान्वयन के लिए पात्र कलाकार और प्रोफेशनल्स हो। यह नियमावली राजनैतिक और धार्मिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।
2. **परिभाषाएँ:-** इस नियमावली में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो।
 - (क) “स्वैच्छिक संस्था” से अभिप्रेत है, कि वैसी संस्था जो सामाजिक कार्यकलापों हेतु स्वेच्छा से सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत अधीन गठित हो।
 - (ख) “गैर लाभकारी संस्था” से अभिप्रेत है, कि वैसी संस्था, जिसका कार्यकलाप लाभ अर्जित करने के लिए न हो एवं जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो।
 - (ग) “सोसाइटी” से अभिप्रेत है, कि वैसी सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो।
 - (घ) “महाविद्यालय/विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है, कि वैसी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय जहाँ कला एवं संस्कृति से संबंधित विषयों का शिक्षण/प्रशिक्षण होता हो।
 - (ङ) “आवेदक संस्था” से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो स्वैच्छिक, गैर लाभकारी एवं सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधिन रजिस्ट्रीकृत हो,
 - (च) “पात्र कलाकार” से अभिप्रेत है, संस्था की गतिविधियों हेतु प्रशिक्षित कलाकार,
 - (छ) “प्रोफेशनल” से अभिप्रेत है, वृत्तिक रूप से प्रशिक्षित/पूर्णकालिक कलाकार, कला इतिहासकार, कला प्रबंधक;
 - (ज) “सांस्कृतिक कार्यक्रम” से अभिप्रेत है, चाक्षुष व प्रदर्श कलाओं से संबंधित कार्यक्रम,
 - (झ) “कार्यशाला” से अभिप्रेत है, सांस्कृतिक प्रशिक्षण (प्रदर्श एवं चाक्षुष कला) और सांस्कृतिक विचारों विनमय का कार्यक्रम,
 - (ञ) “उत्सव” से अभिप्रेत है, चाक्षुष एवं प्रदर्श कलाओं का प्रदर्शन, विचारों विनमय आदि को लेकर होनेवाले सांस्कृतिक कार्यक्रम।

1
A

- (ट) “प्रदर्शनी” से अभिप्रेत है, चाक्षुष कलाकृतियों एवं संबंधित विषयों और प्रदर्श कलाओं के वाह्य क्षेत्र कास्ट्यूम आदि कृतियों का प्रदर्शन सेट,
- (ठ) “चाक्षुष कला” से अभिप्रेत है, चित्रकला, ग्राफिक्स (प्रिंटमेकिंग), मूर्तिकला, फोटोग्राफी, इंस्टालेशन, वीडियो आर्ट, परफार्मेंस आर्ट, डिजिटल आर्ट, लाईव स्कल्पचर आदि विधाएं।
- (ड) “आर्टिस्ट रेजिडेंसी” से अभिप्रेत है, चाक्षुष कलाकारों के आवासीय कार्यक्रम, जिसमें वे लम्बी अवधि (एक सप्ताह से ज्यादा) तक रहकर कलाकृतियों का सृजन कार्य करते व उस पर व्याख्यान देते हैं।
- (ढ) “कार्यक्रम शोध सर्वेक्षण” से अभिप्रेत है, संस्कृति विषयक शोध, अध्ययन और सर्वेक्षण।
- (ण) “अभिलेखीकरण” से अभिप्रेत है, चाक्षुष कला और प्रदर्श कलाओं के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभिलेखीकरण।
- (त) “अभिनव परियोजना” से अभिप्रेत है, संस्कृति विषयक नवीन अवधारणा एवं प्रस्ताव।
- (थ) “सेमिनार” से अभिप्रेत है, संस्कृति विषयक परिसंवाद।
- (द) “आवश्यक सहयोगी उपकरण” से अभिप्रेत है, प्रदर्श कलाओं में सेट, वाद्ययंत्र, कास्ट्यूम आदि तथा चाक्षुष कलाओं में रंग, ब्रश, स्ट्रेचर, इंजल इंस्टालेशन के लिए आवश्यक सामग्री, वीडियो और डिजिटल आर्ट के लिए वीडियो कैमरा, स्टील कमरा, कम्प्यूटर, प्रिंटर, कास्ट्यूम, मेकअप के सामान आदि।
3. गतिविधियाँ जिनके लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी:— सांस्कृतिक कार्यक्रम, यथा—कार्यशाला, उत्सव—महोत्सव, प्रदर्शनी, नये नाटक का प्रोडक्शन, चाक्षुष कला में अभिनव परियोजना, सेमिनार, आर्टिस्ट रेजिडेंसी, संस्कृति के संरक्षण संबंधी कार्यक्रम शोध सर्वेक्षण, प्रकाशन, अभिलेखीकरण तथा इनके लिए आवश्यक सहयोगी उपकरण आदि की खरीद के लिए दी जाएगी।
4. वित्तीय सहायता की सीमा:—विभाग द्वारा 10 (दस) लाख रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता दी जाएगी। उससे अधिक राशि की वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव माननीय विभागीय मंत्री के विचारार्थ भेजा जाएगा और मंत्रिपरिषद की मंजूरी के पश्चात् मंजूर की गयी राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
5. स्वीकृत अनुदान की राशि का 75% प्रथम अग्रिम संस्था/दलों/क्लबों/आवेदकों को दिया जायेगा एवं कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात कार्यक्रम की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी एवं कार्यक्रम का पूर्ण ब्यौरा/विपत्र देने के उपरान्त ही 25% अवशेष राशि देय होगा। संस्था/दलों/क्लबों/आवेदकों को एक वर्ष में एक ही बार अनुदान राशि दी जायेगी।
6. संस्था/दलों/क्लबों/आवेदकों को प्राप्त सहायता अनुदान राशि के खर्च का पूर्ण ब्यौरा/उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंकेक्षण प्रतिवेदन छः माह के अंदर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. अधिकांशतः या पूर्णतः एक ही परिवार के द्वारा संचालित संस्था, किसी व्यक्ति विशेष अथवा परिवार द्वारा संचालित कोई शीर्ष संस्कृति/क्लब/संस्था को किसी भी स्थिति में सहायता अनुदान का पात्र नहीं समझा जायेगा।
8. वित्तीय सहायता का लेखा परीक्षा:—
- (क) संस्थाएं विभाग द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता की राशि के उपयोग के बाद लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट से करायेगी तथा विभाग को उसका प्रतिवेदन, उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सौंपेगी।

- (ख) विभाग यदि चाहे तो, उक्त राशि के उपयोग की गयी राशि का सत्यापन कर सकेगी। इसके लिए संबंधित संस्थाओं को सभी दस्तावेज यथावश्यक विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
- (ग) वित्तीय सहायता के उपयोग के लिए, समय-समय पर विभाग द्वारा दिये गये निदेशों/मार्गदर्शनों का अनुपालन करना, संस्थाओं के लिए बाध्यकारी होगा।
9. **आवेदन की प्रक्रिया:**—प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सहायता के लिए, वर्ष में दो बार विज्ञापन, समाचार पत्रों और इसके वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। आवेदन वर्ष में किसी समय किये जा सकेंगे। आवेदन संबंधित राज्य अकादमी/उपायुक्त/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सांस्कृतिक संस्थाएँ/उप विकास आयुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी/जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी/जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारी द्वारा अवश्य अनुशंसित होना चाहिए।
10. **आवेदन के साथ संलग्न किये जानेवाले कागजात:**—आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा:—
- (क) संस्था का नाम/पुरा पता/कार्यालय का पुरा पता /ई-मेल एवं मोबाईल नम्बर।
 - (ख) संस्था का संविधान/उद्देश्य और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति, संस्था का नाम, पूरा पता, कार्यालय का पूरा पता, Email Id एवं मोबाईल नम्बर।
 - (ग) संस्था की उपविधि, संस्था के सदस्यों, पदाधिकारियों की सूची सहित,
 - (घ) संस्था का अद्यतन वार्षिक प्रतिवेदन (फोटोग्राफ और समाचार पत्र कतरनों के साथ),
 - (ङ) संस्था (या सोसाइटी) की सामान्य परिषद्/कार्यकारिणी निकाय द्वारा सरकार से अनुदान प्राप्त करने संबंधी पारित प्रस्ताव की कार्यवाही की प्रति,
 - (च) परियोजना की विस्तृत विवरणी, उसकी पूरी होने की अवधि, उसका कार्यान्वयन करानेवाले प्रोफेशनल्स की सूची, उनका बायोडाटा आदि तथा उसका बजटीय ब्रेकअप के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव,
 - (छ) संस्था का विगत तीन वर्षों की अवधि के साथ आय एवं व्यय का चार्टर्ड ऐकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अंकेक्षण प्रतिवेदन,
 - (ज) संस्था का विगत वर्षों में राज्य/केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान/वित्तीय सहायता का ब्योरा यदि कोई हो, उपयोगिता प्रमाण पत्र,
 - (झ) संस्था का विगत तीन वर्षों में कराये गये कार्यक्रमों/गतिविधियों संबंधित अभिलेख जिससे उनके संबंधित कार्यक्षेत्र में कार्यरत/एक्टिव रहने का पता चले।
 - (ञ) संस्था के बैंक एकाउंट संबंधी जानकारी विहित प्रपत्र में (खाता सं०, IFSC Code, PAN No. & TAN No.)
 - (ट) विहित प्रपत्र पर हस्ताक्षरित पूर्व पावती रसीद (प्री रीसिट),
 - (ठ) सरकार अथवा किसी प्राइवेट सेक्टर की एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होने का घोषणा पत्र।
11. **चयन प्रक्रिया:**— विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक अनुदान समिति, प्राप्त पात्र आवेदनों पर विचार करके, सहायता की अनुशंसा करेगी। समिति इसके लिए विभिन्न कला क्षेत्रों को आनुपातिक ढंग से सहायता प्रदान करने की अनुशंसा करेगी जिसके आधार पर राज्य सरकार संस्थाओं को वित्तीय सहायता की राशि उपलब्ध करायेगी। वित्तीय सहायता अनुदान समिति का गठन निम्नलिखित को मिलाकर होगा:—

1	विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	पदेन अध्यक्ष
2	निदेशक, संस्कृति	सदस्य सचिव
3	विभागीय संयुक्त सचिव/उप सचिव	पदेन सदस्य
4	वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य (आंतरिक वित्तीय सलाहकार)	पदेन सदस्य
5	सहायक निदेशक, संस्कृति/कला/उप निदेशक, संस्कृति/कला	सदस्य

6	विभाग/निदेशालय द्वारा नामित एक चाक्षुष कलाकार	सदस्य
7	विभाग/निदेशालय द्वारा नामित एक प्रदर्श कलाकार	सदस्य
8	East Zone Cultural Centre {EZCC} (सदस्य) झारखण्ड	सदस्य

नोट:- नामांकित सदस्यों का मनोनयन एक वर्ष की अवधि के लिए निदेशालय के द्वारा किया जायेगा।

12. पर्यवेक्षण:-आवेदक द्वारा अनुदान हेतु दी गए प्रोजेक्ट के अनुसार कार्यों का पर्यवेक्षण विभागीय पदाधिकारी/जिला सम्पर्क पदाधिकारी/स्थानीय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।
13. जाँच:-विभागीय पदाधिकारी या अनुदान समिति के सदस्य, समय-समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं की समीक्षा/जाँच कर सकेंगे और इनके सत्यापन प्रतिवेदनों को अनुदान समिति की बैठकों में रखा जाएगा तथा उस पर सम्यक् रूप से विचारण के बाद वित्तीय सहायता अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।
14. सहायता अनुदान हेतु विज्ञापन में मांगी गई कोई भी सूचना छुपाना भी गलत सूचना देना माना जायेगा। आवेदन में भ्रामक/फर्जी/तथ्यहीन एवं गलत सूचना देने वाली संस्थाओं/दलों को भविष्य में अनुदान देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

- उक्त दिशा-निर्देशों में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

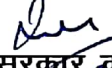
ज्ञापांक:.....191.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सी0 डी0 के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव
राँची दिनांक 21.06.19

ज्ञापांक:.....191.....

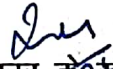
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, राजभवन सचिवालय, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची के उप सचिव/सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी पदाधिकारी, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड ललित कला अकादमी, राँची/सचिव, झारखण्ड संगीत नाटक अकादमी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव
राँची दिनांक 21.06.19

ज्ञापांक:.....191.....

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव
राँची दिनांक 21.06.19


सरकार के सचिव